Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073555
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR PUBLIC HEARING

M/s Jindal Steel Limited (JSL-D) has filed a petition under Section 62(4) read with Section 86 of the Electricity Act, 2003 seeking review of the Tariff Order dated 23.07.2025, passed in Petition No. 02 of 2025 filed for truing up of ARR for FY 2023-24 and determination of retail tariff for FY 2025-26. This petition is registered as Petition No. 13 of 2026.The gist of the petition was published on 07.03.2026 in the newspapers to invite objections/suggestions.

Above petition and gist of the petition are available on the Commission's website: www.***cserc.gov.in.*** The Commission has fixed a hearing on aforesaid petition on **14/07/2026** at **11:30 a.m.** for stakeholders consultation.

SECRETARY

SIZE 6X8

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर 492001
वेब साईट www.cserc.gov.in ई–मेल : cserc.sec.cg@nic.in फोन नं. 0771-4073555

जन–सुनवाई हेतु सूचना

मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल–डी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के साथ पठित धारा 62(4) के तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें याचिका संख्या 02 / 2025 में पारित टैरिफ आदेश दिनांक 23.07.2025 के पुनरावलोकन की मांग की गई है। यह याचिका, याचिका संख्या 13 / 2026 के रूप में पंजीकृत है। उक्त याचिका पर आपत्ति / सुझाव हेतु दिनांक 07.03.2026 को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी।

उक्त याचिका एवं याचिका का सारांश आयोग की वेबसाईट ***www.cserc.gov.in*** पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 14 / 07 / 2026 को प्रातः 11:30 बजे हितधारकों द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु आयोग कार्यालय में सुनवाई नियत की गई है।

सचिव

SIZE 6X8